

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Pauri Garhwal

No. 4045
.....

Dated 22-8-14

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **4.435 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal** for construction of **Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakali in Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of Muchali village (s) in Srinagar Garhwal tehsils.

It is further certified that :

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.435 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 to annexure 02**.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक निरीक्षक
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सुनियर (गढ़वाल)

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector

District Collector
Garhwal

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pauri Garhwal

No. 4045

Dated 22-8-14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **4.435 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal for **Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal for Construction of Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakhal in Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of Muchali village (s) in Srinagar Garhwal tehsils.

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.435 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 To annexure 02**
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.
- (c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Muchali** villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The rights of primitive tribal groups and Pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
भारत (गढ़वाल)

(Chandra Shekhar Bhatnagar)

District Collector

D.M. Collector
Garhwal

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 4.435 हे० सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी-श्रीनगर, उपप्रभागिय वन अधिकारी पौड़ी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि० ख० कोट, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वि० ख० कोट के द्वारा प्रपत्र 23.2 में किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० वि० बि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 4.435 हे० सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समीति श्रीनगर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किये गए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी-श्रीनगर, उपप्रभागीय वन-अधिकारी पौड़ी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि०खण्डकोट, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोट के द्वारा 23.2 में किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

ह०/-

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

गढ़वाल (पौड़ी)

नोट-वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वांछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माणखण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत
(शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 2.765 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.670 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.435 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 04.04.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

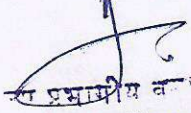
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री रजा अब्बास	उपजिलाधिकारी	श्रीनगर	अध्यक्ष
2-	श्री दिनेश गिरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	पौड़ी	सदस्य
3-	श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	कोट ब्लाक	सदस्य/सचिव
4-	श्री बसन्त लाल	बी०डी०सी० क्षेत्र/ग्रा०प०वि० अ० नकोट		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 4.435 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल -मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.435 हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


सिविल एवं सौयम वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- उपजिलाधिकारी
जनपद- श्रीनगर गढ़वाल

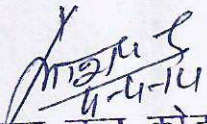
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- उपजिलाधिकारी
जनपद- श्रीनगर गढ़वाल


महिला वन प्रचारक
ग्राम-मुछियाली पट्टी बनगडग्यू
तहसील श्रीनगर गढ़वाल


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- उपजिलाधिकारी
जनपद- श्रीनगर गढ़वाल


सि०१०८०००००
विकास खण्ड कोट


(कैलाश चन्द्र कोटनाला)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व पुलिस उत्तराखण्ड
पट्टी १०८०६६६
तहसील श्रीनगर गढ़वाल

परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी - खन्दुखाल - मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 0 8.00 मटाखाली से कोल्टा - मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रामपुर / भरगुल
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला पौड़ी गढ़वाल, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 0.360 हे०, वन पंचायत भूमि 1.670 हे०) अर्थात् कुल 4.435 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामपुर / भरगुल द्वारा दिनांक 04.04.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रामपुर / भरगुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरोजिनी देवी
सरपंच वन पंचायत
भरगुल
१६ मार्च २०१४



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 4/4/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामपुर/भरगुण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	दुर्गा साद खंडूरी	दुर्गा साद
②	सरोजि देवी / पं. 03 गिराफ	सरोजि देवी
③	माहेश्वरी देवी / पं. 03 गोदल	माहेश्वरी देवी
④	जगदीश लाल 5/0 पूछ लाल	जगदीश लाल
⑤	मनोज लाल 5/0 लच्छू लाल	मनोज लाल
⑥	उमेश लाल 5/0 शोभा लाल	उमेश लाल
⑦	विनोद लाल 5/0 वचन लाल	विनोद लाल
⑧	प्रेम लाल 5/0 चेत लाल	प्रेम लाल
⑨	कुशू लाल 5/0 इया लाल	कुशू लाल
⑩	वसन्ती देवी पं. 03 चिंता लाल	वसन्ती देवी
⑪	मन, देवी पं. 03 सुरेन्द्र लाल	मन, देवी

सरोजि देवी
सरपंच वन पंचायत
भरगुण
वसन्ती देवी श्रीनगर गढ़वाल



परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी - खन्दुखाल - मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 8.00 मटरखाली से कोल्टा - मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पंचुर/लुनेर
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला पौड़ी गढ़वाल, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 0.385 हे०, वन पंचायत भूमि 0.350 हे०) अर्थात् कुल 2.092 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पंचुर/लुनेर द्वारा दिनांक 4/4/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचुर/लुनेर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

नलमी

ग्राम पंचायत अधिकारी

मुख्यालय श्रीनगर

पौड़ी गढ़वाल



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ५३५/७७८१

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	नैल सिंह	नैल सिंह
2 -	मदन सिंह	मदन
3 -	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
4 -	मधुसूदी	मधुसूदी
5 -	राजेश सिंह	Rajesh
6 -	धन सिंह	धन सिंह
7 -	मिशुन सिंह	मिशुन सिंह
8 -	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
9 -	विठ्ठल सिंह	विठ्ठल सिंह
10 -	विजयलाल	विजय लाल
11 -	शशिकांता देवी	शशिकांता देवी
12 -	सुरेश देवी	सुरेश देवी
13 -	सुरेश लाल	सुरेश लाल

वरिष्ठ

सरपंच
ग्राम पंचायत चौकाली
बहुसोल श्रीमंगल
पौड़ी, पदवाला

म.ब.

ह0/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी - खन्दुखाल - मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 8.00 मटाखाली से कोल्टा - मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम असपुर / कोल्टा
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला पौड़ी गढ़वाल, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 0.670 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे०) अर्थात् कुल 2.092 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोल्टा द्वारा दिनांक 4/4/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोल्टा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच वन पंचायत
कोल्टा
तहसील श्रीनगर गढ़वाल



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 4/4/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जसपुर / कोल्हा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	प्रेम सिंह S/o आलम सिंह	प्रेम सिंह
2-	गणेश चन्द S/o सीताराम	गणेश
3-	गैनी देवी W/o अगानानन्द	गैनी देवी
4-	वज्जीराम S/o राम सिंह	वज्जीराम
5-	पीताम्बर दत्त S/o सीताराम	पीताम्बर
6-	प्रकाश चन्द S/o मायाराम	प्रकाश
7-	वीर सिंह S/o चन्द सिंह	वीर सिंह
8-	कुसुम लालता W/o कुराल सिंह	कुसुम लालता
9-	हरि सिंह S/o नव्या सिंह	हरि सिंह
10-	कुवद सिंह S/o अगत सिंह	कुवद सिंह
11-	शेर सिंह S/o अदन सिंह	शेर सिंह
12-	सुनिता देवी W/o राम सिंह	सुनिता देवी
13-	अगमोहन सिंह S/o चन्द सिंह	अगमोहन सिंह
14-	रोशन S/o विसम्बर दत्त	रोशन
15-	बलवीर सिंह S/o नव्या सिंह	बलवीर सिंह
16-	पवन पुत्री S/o	पवन पुत्री

सरपंच वन पंचायत
कोल्हा
तहसील श्रीनगर गढ़वाल



परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी - खन्तुखाल - मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 0 8.00 मटाखाली से कोल्टा - मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुछियाली
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला पौड़ी गढ़वाल, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 1-000 हे०, वन पंचायत भूमि 1-320 हे०) अर्थात् कुल 2.092 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुछियाली द्वारा दिनांक 4/4/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुछियाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

गुप्ती देवी

सरपंच वन पंचायत

मुछियाली

तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 4/4/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुन्डीकुंजी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीराम सिंह	श्रीराम
2	श्री राम सिंह	श्रीराम
	रामदास	रामदास
	श्रीराम सिंह	श्रीराम
	रामदास सिंह	रामदास
	रामकुमार	रामकुमार
	सुरे सिंह	सुरे सिंह
	लोकेश लाल	लोकेश लाल
	राम लाल	राम लाल
	मानिक लाल	मानिक
	पिन्ता लाल	पिन्ता लाल
	मखन सिंह	मखन सिंह
	मन्दी लाल	मन्दी लाल
	गुमान सिंह	गुमान सिंह
	हरी सिंह	हरी सिंह
	मुन्डी सिंह	मुन्डी

मुन्डीकुंजी

सम्पन्न ग्राम पंचायत
मुन्डीकुंजी
तहसील श्रीनगर गढ़वाल



परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी - खन्दुखाल - मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 0 8.00 मटाखाली से कोल्टा - मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम 3031सू

तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला पौड़ी गढ़वाल, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, शून्य हे०, सिविल सोयम भूमि 0.350 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे०) अर्थात् कुल 2.092 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 3031सू द्वारा दिनांक 01/4/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम 3031सू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मंजु देवी
सखी
महिला वन पंचायत उत्तरासू
तहसील श्रीनगर गढ़वाल



नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 4/4/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत देवलगाव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दुगलदेवी ५० कमला लाल	दुगलदेवी
2	सुन्दरलाल ४१० कमला लाल	सुन्दरलाल
3	रामलाल ४१० दुलालाल	रामलाल
4	नन्दलाल ४१० भावलाल	नन्दलाल
5	गोमलाल ४१० हनु लाल	गोमलाल
6	जगमोहन ४१० मुरोसीलाल	जगमोहन
7	जगपाल ४१० मुरोसीलाल	जगपाल
8	जगपाल ४१० —	जगपाल
9	गुन्दलाल ४१० श्रीमदास	गुन्दलाल
10	रुक्मीदेवी ५० गोम	रुक्मी
11	जगपाल ४१० नन्दलाल	जगपाल
12	रामलाल	रामलाल
13	श्रीमदास	श्रीमदास
14	श्रीमदास	श्रीमदास
15	गुन्दलाल	गुन्दलाल
16	रामलाल	रामलाल

मंजुदेवी
सरपंच
महिला वन पंचायत उत्तराखण्ड
तहसील श्रीनगर गढ़वाल

